



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276754
CG-DL-E-03102026-276754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5046]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5046]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

का.आ. 5253(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 938 दिनांक 29.02.2024 का.आ. 983(अ) दिनांक 29.02.2024 भाग (II) खण्ड (3), उपखण्ड (II) में किया गया है, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य की तहसील कुण्डा जिला प्रतापगढ़ की भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) तक एलपीजी परिवहन के लिए आई0एच0बी0 लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहें "कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) परियोजना" के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को दिनांक 02.09.2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में श्री अबुल कलाम, सक्षम प्राधिकारी, आई0एच0बी0 लिमिटेड, कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन, लखनऊ (यूपी.) ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित हैं, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई0एच0बी0 लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई0एच0बी0 लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा, या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

“अनुसूची”

तहसील – कुण्डा

जिला – प्रतापगढ़

राज्य – उत्तरप्रदेश

मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लॉक / सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
स्थान	30	00	06	90
	217	00	06	25
	377	00	02	76
कुसुवापुर	1703	00	10	65
छाछामऊ	600	00	01	50
अब्दुल समदपुर	289	00	02	43
मनार	304	00	03	90
	350	00	06	00
मनगढ़	1546	00	03	40
	1551	00	02	70
	2991	00	08	80
	2804	00	03	52
	2992	00	04	99
	2342	00	05	39
लरु	1679	00	01	40
बसवाही	1005	00	06	62
सराय सैदखां	521	00	18	94
सुनियावा	1118	00	04	08
बेंधन गोपालपुर	2297	00	00	60
	2472	00	00	64
जैसावा	336	00	10	65

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1-भाग (2)/ई-57270]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2026

S.O. 5253(E).— Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No. 938 Dated 29.02.2024, S.O. No. 983(E) Dated 29.02.2024 Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and minerals pipeline(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Kunda District Pratapgarh, in Uttar Pradesh State, Specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of LPG from Kandla to Gorakhpur by the IHB Ltd for implementing the Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project.

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 02 September 2025.

And whereas Shri Abul Kalam, Competent Authority, IHB Limited, Kandla Gorakhpur LPG Pipeline Project, Lucknow (UP) has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration, in IHB Ltd, free from all encumbrances.

IHB Ltd shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

"Schedule"

Tehsil: - Kunda

District: - Pratapgarh

State: - Uttar Pradesh

Mouja / Village	Survey/Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
STHAN	30	00	06	90
	217	00	06	25
	377	00	02	76
KUSUVAPUR	1703	00	10	65
CHHACHHAMAU	600	00	01	50
ABDUL SAMADPUR	289	00	02	43
MANAR	304	00	03	90
	350	00	06	00
MANGARH	1546	00	03	40
	1551	00	02	70
	2991	00	08	80
	2804	00	03	52
	2992	00	04	99
	2342	00	05	39
LARU	1679	00	01	40
BASWAHI	1005	00	06	62
SARAY SAIDKHAN	521	00	18	94
SUNIYAWA	1118	00	04	08

Tehsil: - Kunda

District: - Pratapgarh

State: - Uttar Pradesh

Mouja / Village	Survey/Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
BENDHAN GOPALPUR	2297	00	00	60
	2472	00	00	64
JAISAWA	336	00	10	65

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I-Part (2)/E-57270]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.